



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254098  
CG-DL-E-08052024-254098

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

## राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली 24 अप्रैल, 2024

फा. सं. टीई-32/2/2023- एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, 2021 बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ), (त) और (द) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, एतद्वारा द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और शुरुआत—** (1) इन विनियमों को निरीक्षण, यांत्रिकीकरण, भूकंपीय आंकड़ों, जोखिम मूल्यांकन और निर्दिष्ट बांध विनियम, 2024 का मूल्यांकन कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- परिभाषाएं—** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) "अधिनियम" का अर्थ है बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41);  
(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण;  
(ग) "मालिक" का अर्थ है विनिर्दिष्ट बांध का मालिक;  
(घ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों की कोई भी अनुसूची।

**6. Manner of collection, compliance, process and storage of seismic monitoring data.**— (1) Every owner shall collect, compile, process and store data at the suitable location and in the manner specified in this regulation.

(2) The Strong Motion Accelerographs and Seismographs shall,—

(i) be connected to a central recording station for real time monitoring and data storage;

(ii) have a control room with facilities for communication (broadband or network connection), Global Positioning System with provision for 24 x 7 uninterrupted power supply and adequate power backup.

(3) The raw data recorded by the Strong Motion Accelerograph and Seismograph shall be corrected for the Scaling Error, Random Error in Time and Acceleration Records, Baseline Errors and Band Passed Filtering.

(4) The raw data of acceleration and velocity time histories obtained from above instruments shall be processed for getting final output and displacement time history shall be evaluated from the final output of acceleration and velocity time histories, if required.

(5) The Strong Motion Accelerograph and Seismograph shall be operated in continuous data acquisition mode.

(6) The seismic data shall be stored in digital format at multiple locations with sufficient storage media size to store it.